झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
भूतल, कल्याण कॉम्पलेक्स, (अवस्थित प्रशिक्षण भवन), बलिहार रोड, मोराबादी, राँची–834008
फोन–0651 2552055 / 3596445, ई–मेलः jsmfdc.ranchi@gmail.com
CIN : U93000JH2012NPL000264

सूचना सं०–01 दिनांक– 08.09.26

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राँची, झारखण्ड सरकार का एक उपक्रम है, जो कम्पनी अधिनियम–1956 की धारा 25 के तहत् पंजीकृत है, जिसमें रिटेनरशिप पर कम्पनी सचिव का सेवा प्राप्त किया जाना है।

अतः इच्छुक कम्पनी सचिव से निम्न योग्यता एवं शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित की जाती है:–

1. **योग्यताः–** आवेदक को ICSI का वैध सदस्य (Associate/Fellow Member) होना आवश्यक है तथा वैध प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (COP) होना चाहिए।
2. **अनुभवः–** संबंधित विषय में किसी संस्थान में कार्य करने का कम से कम पाँच वर्षों या उससे अधिक समय का अनुभव प्राप्त हो। सरकारी कम्पनी के कार्यानुभव वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. **कार्य का विवरणः–** चयनित रिटेनरशिप कम्पनी सचिव को Article of Association, Memorandum of Association एवं कम्पनी अधिनियम 1956 / 2013 के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. **रिटेनरशिप मासिक शुल्कः–** अधिकतम 25,0000 / – (पच्चीस हजार) रूपये प्रतिमाह देय होगा।
5. **आवेदन की प्रक्रियाः–** योग्य कम्पनी सचिव, विस्तृत योग्यता एवं अनुभव विवरणी के साथ अपना आवेदन बंद लिफाफे में झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम कार्यालय, कल्याण कॉम्पलेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची में दिनांक– 25.09.2026, अपराह्न– 5.00 बजे तक कार्यालय अवधि में पोस्ट के द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर ''**रिटेनरशिप कम्पनी सचिव हेतु आवेदन**'' स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना अनिवार्य है। आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन मान्य नहीं होगा।
6. **प्राप्त आवेदन का तकनीकी मूल्यांकनः–**

क्र०	विवरण	अंक
1	**ICSI का वैध सदस्यता का प्रकारः– (कुल 15 अंक)**	
	Associate Member के लिए	10 अंक
	Fellow Member के लिए	15 अंक
2	**अनुभवः– (कुल 35 अंक)**	
	5 वर्ष पूर्ण के लिए	15 अंक
	6-9 वर्ष पूर्ण के लिए	25 अंक
	10 वर्ष पूर्ण के लिए	35 अंक
	कुल	**50 अंक**

7. तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 25 अंक प्राप्त होनेवाले अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
8. **अभ्यर्थी का अंतिम चयनः–** निगम द्वारा गठित समिति के माध्यम से तकनीकी मूल्यांकन एवं साक्षात्कार में मिलाकर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
9. चयन समिति के बैठक की तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।

प्रबंध निदेशक,

F/Amresh Sir/Press notice for Company secretary 2